

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)
(Phone Number—0141—2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:—नर्सिंग / जोन जोधपुर / एफ—8 फिक्स(27648) / 2024 / 26) दिनांक:— 28/5/2024

—::आदेश::—

निदेशालय के आदेश क्रमांक 309 दिनांक 28.04.2020 ,173 दिनांक 24.01.2020, द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, कार्मिको द्वारा 2 वर्ष का परिविक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम—1965 के नियम—31 के तहत नियमित/स्थायी करते हुये इन्हें परिविक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग ई—20/नर्सिंग/एएनएम भर्ती—2018 /25/2022 / 351 दिनांक 23.03.2022, 386 दिनांक 30.03.2022, 226 दिनांक 31.08.2022 एवं 253 दिनांक 13.09.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में दर्शाई गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम—2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1) वित्त / नियम/2027 दिनांक 30.10.2027 एवं 9.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्सिंग ऑफिसर के पद की पे—मेट्रिक्स लेवल एल—11 में न्यूनतम वेतन 37800/— एवं अन्य भत्ते नियमानुसार भत्ते देय होंगे :—

क. सं.	नाम कर्मचारी (सुश्री/श्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिविक्षाकाल की गणना की जानी है।	परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	2 वर्ष पश्चात परीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	प्रवीण कुमार, नर्सिंग ऑफिसर	बीसीएमओ सायला (जालौर)	15.01.1989	10.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
2	नारायण , नर्सिंग ऑफिसर	पीएमओ—पोकरण (जैसलमेर)	05.05.1981	13.10.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
3	रिंकू कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर	सामु0 स्वा0 केन्द्र तख्तगढ (पाली)	25.06.1994	01.05.2020	—	16.06.2022	17.06.2022

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स—2/त111.23737/जोन—जोधपुर /2024/147 दिनांक 05.04.2024 के द्वारा क्र.सं. 03 पर अंकित कार्मिका के स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 18.9.2021 से 24.12.2021 तक कुल 47 दिवस का स्वयं की प्रार्थना पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया। इस प्रकार कार्मिका के परीक्षाकाल अवधि 47 दिवस बढ़ जायेगी जिससे दिनांक 16.06.2022 को दो वर्ष पूर्ण होते हैं।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।

(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्र०सं० 1 व 2 पर अंकित कार्मिको को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण में चयन सूची में वरिष्ठ कार्मिक का निकटतम कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक लाभ देय होंगे तथा वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से नकद लाभ देय होंगे उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 212300488 दिनांक 05.07.2023 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं

(राकेश कुमार शर्मा
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एफ-8 फिक्स(27648)/2024/261
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 20/5/2024

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पोकरण (जैसलमेर)
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर/पाली/जालौर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सायला (जालौर)
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु.स्वा.केन्द्र, तख्तगढ़(पाली)
6. सम्बन्धित कर्मचारियों को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
7531208

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :28-05-2024 11:53:59